पूर्व मध्य रेल

संरक्षा बुलेटिन न0–04 / 2023

कार्यालय
महाप्रबंधक / संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0: ईसीआर / संरक्षा बुलेटिन / 04 / 23 दिनांकः 31.05.2023

विषयः विद्युतीकृत सेक्शनों में कार्य जैसे OHE Mast erection/grouting आदि के दौरान बरती जानेवाली संरक्षा सावधानियॉं।

1. **विषयः–**

विगत कुछ दिनों में पूर्व मध्य रेल के पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल एवं धनबाद मंडल में **OHE Mast erection** के दौरान दो घटनाऐं संज्ञान में आयी है जिसके कारण रेल सम्पत्ति के नुकसान के साथ–साथ मानव जीवन की अपूरणीय क्षति हुई है ।

2. **नियमों का अनुपालन एवं बरती जानेवाली सावधानियॉं:–**

भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनर्रावृत्ति न हो इसके लिए AC Traction Mannual एवं सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के अध्याय 17 में दिये गये नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है।

3. सहायक नियम 17.02 में Danger zone परिभाषित है । इस Danger zone में सक्रिय उपस्कर से दो मीटर के अंदर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जहॉ उपस्कर सक्रिय हो । सामान्य एवं सहायक नियम 17.04 में बिजली उपस्कर पर कार्य करने की अनुमति के बारे में वर्णित है, जिसमें यदि विद्युत उपस्कर या उसके किसी अन्य भाग के समीप, सक्षम रेल सेवक से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा काम किया जाता है तो ऐसा काम केवल तभी और उतनी ही अवधि तक किया जाएगा जब तक कि उस कार्य के प्रभारी (इंचार्ज) व्यक्ति ने, विशेष अनुदेशों द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत रेल सेवक से कार्य करने की अनुमति लिखित और हस्ताक्षरित रूप से प्राप्त कर ली हो। वह उस अनुमति को Traction Power Controller की जानकारी में जारी करेगा। कार्य आरंभ करने से पहले और उस सम्पूर्ण समय के लिए जब तक बिजली उपस्कर के किसी भाग पर या उसके इर्द गिर्द काम किया जाता है तो इन नियमों में जैसा कि उपबंध किया गया है उसे छोड़कर बिजली उपस्कर को निष्क्रिय बनाकर भूयोजित कर दिया जायगा।

4. **Erection of mast/portal/TTC(Tension termination and crossing):-** जैसा कि AC Traction Mannual में उद्धृत है, ऐसे कार्य बिना पावर ब्लॉक के न किया जाय। इस प्रकार के कार्य RVNL/IRCON/Construction/Private Contractor के द्वारा, रेलवे के प्रतिनिधि के पर्यवेक्षण में हीं किया जाय।

5. CAMTECH/E/2019-20/EP-04/Electrical Safety/1.0 November, 2019 द्वारा जारी PAMPHLET में यह प्रावधान है कि हाई टेंशन लाईन के नजदीक काम करने के पहले संरक्षा उपाय करते हुए लाईन को डिस्चार्य कर देना है एवं ऐसा कार्य बिना Permit to work के, जो प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया जायेगा, के बिना नहीं किया जायेगा।

6. AC Traction Mannual के पारा 10422 (1) में भी ऐसा प्रावधान दिया गया है कि Live OHE के दो मीटर के अंदर कोई भी कार्य बिना Permit to work के नहीं किया जायेगा।

7. महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों/सावधानियॉ जो प्रधान मुख्य वद्युत इंजीनियर/पूर्व मध्य रेल के पत्र संख्या ECR/ELD/100/2A, दिनांक 01.05.2023 को जारी किये गये हैं का अनुपालन सुनिश्चत किया जाय।

8. सभी मंडल लाईन में कार्य करनेवाले गेटमैन एवं इंजीनियरिंग स्टाफ आदि को भी जागरूक करें ताकि अनधिकृत रूप से होनेवाले कार्य की जानकारी स्टेशन मास्टर एवं कंट्रोल को तत्काल दें जिससे समय से सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

उपरोक्त का सर्व सम्बन्धित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। मंडलों के सर्वसम्बन्धित अधिकारी/पर्यवेक्षक नियमित एवं औचक निरीक्षण के दौरान इसका अनुपालन देखेंगे।

SHIV KUMAR PRASAD

Digitally signed by SHIV KUMAR PRASAD
DN: c=IN, postalCode=844101, st=BIHAR, street=ECR GM OFFICE, HAJIPUR, VAISHALI, l=VAISHALI, o=INDIAN RAILWAY, ou=WORKS, serialNumber=009eaf25d039cda705294567ac818219487076581915 9f159a272b1cb458e9f5, pseudonym=e1978658a8e348458c6fd88cd7d7def6, 2.5.4.20=f2cc51c416d5e2d2b0d663dd53812a8c0372906a3aac5851f52001823358cc09, email=SHIVKUMAR4165@GMAIL.COM, cn=SHIV KUMAR PRASAD
Date: 2023.05.31 13:39:33 -07'00'

(शिव कुमार प्रसाद)
प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबंधक के सचिव–महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबंधक के उप सचिव–अपर महाप्रबन्धक महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. प्र0 मु0 परि0 प्र0, प्र0 मु0 इंजी0, प्र0 मु0 वि0 इंजी0, प्र0 मु0 सि0 एवं दू0 सं0 इंजी0, प्र0 मु0 यां0 इंजी0 –को सूचनार्थ ।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/उत्तर एवं दक्षिण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/RVNL एवं IRCON को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
7. वमसंअ0, वमपरिप्र0, वमंविई0(टीआरडी), वमंविई0(परि0), वमंसिदूई0, वम0अभि0(सम0) – धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।